ए.एस.आई. व साथी दलाल पैंतीस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके भाई एवं पिता के खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी

उदयपुर, (कासं)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट इकाई उदयपुर ने कार्यवाही करते हुए गोवर्धन विलास पुलिस थाने के एएसआई मनोहरलाल व उसके साथी दलाल को परिवादी से पैतीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट इकाई उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसे भाई एवं पिता के खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफआर

- एसीबी ने कार्यवाही करते हुए गोवर्धन विलास पुलिस थाने के एएसआई व व उसके साथी दलाल को गिरफ्तार किया

रिश्वत लेते ए.एस.आई. व दलाल गिरफ्तार।

लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी गोवर्धन विलास थाने के एएसआई मनोहरलाल मीणा एवं उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) शिवलाल के माध्यम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के काफी अनुनय विनय करने के बाद आरोपी सहायक उप निरीक्षक 50 हजार रूपये रिश्वत राशि पर सहमत हुआ।

इस पर एसीबी के उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट इकाई उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायतका सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार परिहार मय टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए मनोहरलाल मीणा पुत्र मगनलाल निवासी रायणा फला ऋषभदेव हॉल एएसआई गोवर्धन विलास थाना उदयपुर एवं दलाल प्राईवेट व्यक्ति शिवलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी खाराकुई बलीचा उदयपुर को परिवादी से 35 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसीबी ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

30 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

बहरोड़/अलवर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अलवर के टपूकड़ा हल्का मायापुर के पटवारी को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विरासत के आधार पर भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में स्वयं एवं अपने उच्च अधिकारियों के नाम से 30 हजार रुपए की रिश्वत राशि मांगने पर एसीबी अलवर प्रथम इकाई ने कार्यवाही करते हुए मायापुर हल्का पटवारी मुन्ना सिंह तहसील टपूकड़ा अलवर को रंगे हाथों दबोचा है।

- विरासत के आधार पर भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज करायी कि विरासत के आधार पर भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में मुन्ना सिंह पटवारी पटवार हल्का मायापुर टपूकड़ा तहसील जिला अलवर खुद सहित अपने उच्च अधिकारियों के नाम से 30 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। जिस पर कार्यवाही करते हुए उपमहानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी अलवर की प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया एवं पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद द्वारा टीम सहित पहुंचकर कार्यवाही करते हुए मुन्ना सिंह पुत्र जयलाल सिंह निवासी ग्राम मातलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर को हल्का मायापुर टपूकड़ा तहसील जिला अलवर में परिवादी से 30 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी के महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में पटवारी से पूछताछ एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान करने की जानकारी दी गई।

प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति के आदेश

अजीबोगरीब मामला, सेवानिवृत के बाद मिला आदेश

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर बैंच जोधपुर ने भूजल विभाग जोधपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत कैलाश बिहारी भटट् को वर्ष 2018-2019की रिक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का आदेश पारित किया। प्रार्थी कैलाश बिहारी भटट् जो सेवानिवृति से पूर्व जब सहायक प्रशासानिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017 मे कार्यरत थे तब उनको विभाग द्वारा 31 मार्च 2017 के आदेश से एक परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया था। परिनिन्दा के दण्ड के कारण, विभाग द्वारा वर्ष 2016-2017 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जो अन्य कार्मिकों को पदौन्नति प्रदान की गयी उसमें उसे इसी दण्ड के कारण से सम्मिलित नहीं किया गया। एक वर्ष पश्चात यानि वर्ष 2017-2018 में विभाग द्वारा उसे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति प्रदान कर दी गयी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उसे दिनांक 2 जुलाई 2018 को भटट् ने कार्यग्रहण कर लिया।

- राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर बैंच जोधपुर ने दिये आदेश
- भूजल विभाग जोधपुर का मामला

सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण के पश्चात उसके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या दण्ड प्रदान नहीं करने के उपरांत भी प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति प्रदान कर दी गयी। मगर प्रार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति प्रदान नहीं की गयी। पदौन्नति प्रदान नहीं करने पर प्रार्थी ने विभाग के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। 31 मार्च 2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उसे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से ही सेवानिवृत कर दिया गया। सेवानिवृति पश्चात उसने विभाग को पुन: अभ्यावदेन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके अपने से कनिष्ठ कर्मचारी को जब प्रशासनिक अधिकारी बनाया है तो मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाये। विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की तो भटट् ने अधिकरण के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक अपील प्रस्तुत की। उसके अधिवक्ता का अधिकरण के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया: प्रार्थी का जो 31 मार्च 2017 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। उसके कारण एक बार पदौन्नति से बाहर किया जा चुका है व अतिरिक्त प्रशसनिक अधिकारी बनने के पश्चात उसे किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया व ना ही कोई आरोप पत्र (चार्जशीट) दिया गया इसके बावजूद भी उसे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति नहीं देना विधि विरूद्ध है, क्योंकि उससे कनिष्ठ कार्मिको को वर्ष2018-19की रिक्तियों के विरूद्ध पदौन्नित दी जा चुकी है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह था कि एक बार के दण्ड से एक बार ही पदौन्नति से बाहर रखा जा सकता है ना कि प्रत्येक बार क्योकि उसे लघु प्रकृति का ही दण्ड दिया गया था। भू-जल विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी को 2017 परिनिन्दा के दण्ड के कारण ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति प्रदान नहीं की गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने प्रार्थी को उससे कनिष्ठ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति प्रदान की गयी उसी दिन से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदौन्नति देने का आदेश पारित किया गया व यह भी व्यवस्था दी की एक बार लघु प्रकृति का दण्ड देने पर एक बार ही पदौन्नति से बाहर किया जा सकता है ना कि बार-बार।

शहीद परिवार को मिले नोटिस पर विवाद

जोधपुर, (कासं)। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। शेरगढ़ में शहीद परिवार को मिले एसडीएम के नोटिस पर भी उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए।

बेनीवाल ने कहा कि शेरगढ़ के चाबा में शहीद दमाराम की बेटी की शादी है। उनकी बेटी की शादी में मेरा नाम लिखने पर एसडीएम ने नोटिस दिया। सरकार को बेनीवाल के नाम से जलन होती हैं। इसलिए मैं चाबा भी जाऊंगा। सरकार इस तरह से प्रयास करेंगी तो हमें सड़कों पर निपटना भी आता है। शहीदों के परिवारों को नोटिस देकर डराने का जो प्रयास किया जा रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उस परिवार के लिए मेरा जुड़ाव है। यदि उसने नाम लिख दिया तो सरकार को कोई जलन नहीं होनी चाहिए।

सचिन पायलट को लेकर बेनीवाल ने कहा कि वो यदि अलग पार्टी बनाएं तो आरएलपी और अन्य दल गठबंधन करके चुनाव लड़ें तो हम चुनाव में पहले नंबर पर रहेंगे। इसलिए पायलट को समय के साथ चलना चाहिए। क्योंकि युवाओं में उनका क्रेज है। यदि वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अलग पार्टी बनाते हैं तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्हें अब देर नहीं करनी चाहिए।

पूर्व सीएम वसुंधरा के नागौर दौरे को लेकर बेनीवाल ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने 11 लाख तेजा मंदिर में देने की घोषणा की लेकिन दिए नहीं। इसलिए अब मैने ट्वीट कर ये राशि पहले देने की मांग की। साथ ही कहा अब वसुंधरा का जनाधार खिसक गया तो तेजा भक्तों के पास जा रही है। जबकि तेजा भक्तों पर गोलियां उनकी सरकार ने चलाई थी। अब उनका जादू खत्म हो गया। वसुंधरा पर गहलोत के सरकार बचाने के बयान पर कहा मैं हमेशा से कहता था वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं। गहलोत के इस बयान से इसकी पुष्टि हो गई। मोदी गहलोत के गले मिलने को लेकर कहा पता ही नहीं चल रहा कौन किसका मित्र हैं।

नाबालिग को दस्तयाब किया

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाने में 8 मई को 17 साल की नाबालिग के अपहरण के मामले में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण राजीव पचार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रागपुरा थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जयपुर ग्रामीण धर्मेंद्र कुमार यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली विद्याप्रकाश के निर्देशन, वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर संजीव चौधरी के निकटतम सुपरविजन व थानाधिकारी प्रागपुरा राम पाल शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर सहायक उप निरीक्षक दलीप कुमार, महिला कांस्टेबल सुनीता द्वारा तलाश करते हुए विशेष प्रयासों द्वारा नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया।

'कांग्रेस सरकार के ही मंत्री असंतुष्ट नजर आ रहे हैं'

जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार सुबह जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर कई भाजपा नेताओं ने अगवानी कर उनका अभिनंदन किया। बाद में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। उनके ही मंत्री असंतुष्ट नजर आ रहे है, उनके ही सरकार के खिलाफ यात्राएं निकाल रहे है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।

- 'सरकार के खिलाफ यात्राएं निकाल रहे है इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है'

शेखावत ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों के खरीद फरोख्त के बारे में कह दिया कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वे लौटा दे। कुछ खर्च हो गए है तो वे मदद कर देंगे। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कि खुद प्रदेश के गृहमंत्री भी है उन्हें ऐसे विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन विधायकों पर केस भी चलना चाहिए। पूरा मामला भ्रष्टचार की श्रेणी में आता है। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के कल के भाषण पर ट्वीट कर जो बोला वह अशोभनीय है। आबू में हुआ कार्यक्रम सरकारी था और प्रोटॉकाल के मुताबिक मुख्यमंत्री को वहां हाजिर होना ही था। मगर उन्हें बेतुकी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश सरकार को गूंगी बहरी सरकार भी कहा।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दो दिन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। लोहावट व फलोदी और पोकरण रामदेवरा क्षेत्र में विविध स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

करंट की चपेट से युवक की मौत

मंडावरी, (निसं)। कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में एक समारोह के दौरान कैटरिंग का कार्य करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब कैटरिंग का कार्य करने अग्रवाल धर्मशाला में आया हुआ युवक हारु पुत्र हरकेश सैनी निवासी सुरतपुरा खुद के कार्य में व्यस्त था।

मिली जानकारी के अनुसार जिस समय युवक हारू कैटरिंग संबंधी कार्य कर रहा था। उसी दौरान कहीं बिजली करंट के संपर्क में आ जाने के कारण हादसा घट गया। इसी दौरान बेहोशी की हालत में युवक को जिला अस्पताल मंडावरी ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद युवक हारू को मृत घोषित कर दिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक युवक दो भाई एवं दो बहन हैं वह घर की आर्थिक हालत खराब है। परिवार की आर्थिक तंगी के चलते युवक द्वारा सीनियर सेकेंडरी तक में पढ़ाई छोड़कर कैटरिंग व मजदूरी का कार्य किया करता था इसी से युवक के घर खर्च में मदद मिलती थी। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है।

बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग

वामपंथियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, रैली निकाली

झुंझुनूं, (निसं)। गुरूवार को जंतर-मंतर दिल्ली पर कई दिनों से न्याय के लिए धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, जय किसान आंदोलन, राजस्थान किसान सभा, एसएफ आई, डीवाईएफ आई, सीटू व इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से शिक्षक भवन झुंझुनूं से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली।

विभिन्न संगठनों ने शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली।

रैली में बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार करो, मोदी सरकार होश में आओ, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो आदि नारे लगा रहे थे। रैली कलेक्ट्रेट पर विरोध सभा में तब्दील हो गई। विरोध सभा की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष मंडल में कामरेड फूलचंद ढेवा, कामरेड सुमेर सिंह, कामरेड बिड़दू राम सैनी व कैलाश यादव का चयन किया गया। विरोध सभा की तरफ से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवान बहन-बेटियों के साथ न्याय करने के लिए यौन आरोपी व पोस्को एक्ट में दर्ज अपराध के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की।

विरोध सभा को कामरेड फूलचंद ढेवा, कामरेड फूलचंद बर्बर, कामरेड रामचंद्र कुलहरि, कामरेड बिड़दूराम सैनी, कामरेड सुमेर सिंह बुडानिया, कामरेड विद्याधर सिंह गिल, कामरेड इंद्राज सिंह चारावास, अरविंद गढवाल, बजरंग बराला, सुरेश महला, कामरेड गिरधारीलाल महला, कामरेड मदन सिंह यादव, कामरेड बाबूलाल, कामरेड रामनारायण, कामरेड विजेंद्र सिंह कुलहरि, राजेश बिजारणिया, बिलाल कुरैशी, कामरेड रमेश मील, हवलदार रोतास काजला, रामचंद्र टोडरवास, रविंद्र पायल, महीपाल नाथपुर, योगेश कटारिया आदि ने संबोधित किया।

कारों की भिड़ंत में दो की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के साबला थाना क्षेत्र में बांसवाड़ा-उदयपुर स्टेट हाइवे पर मुंगेड गांव के पास दो कारें आमने-सामने टकरा गई। हादसे में दोनों

- मां-बेटे सहित छह जने घायल हुए

कार सवार एक-एक युवक की मौत हो गई। जबकि हादसे में मां-बेटे सहित 6 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का साबला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करवाया है। वहीं मोर्चरी में मृतकों के शवों को रखवाया है।

साबला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि बांसवाडा निवासी चिन्मय दीक्षित अपने पत्नी व बेटे के साथ आसपुर मेहमान आये थे। वहीं वापस कार में सवार होकर बांसवाडा लौट रहे थे। इस दौरान बांसवाडा-उदयपुर स्टेट हाइवे पर मुंगेड गांव के पास उनकी कार सामने से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में चिन्मय दीक्षित और दूसरी कार सवार अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चिन्मय की पत्नी गर्तिका और उसके बेटे ग्रन्थ सहित दूसरी कार सवार 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर साबला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत साबला अस्पताल पहुंचाया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को रेफर किया गया।

राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की आशंका को लेकर दो गांवों में हुआ विवाद

पुलिस ने तीन गांवों में फ्लैगमार्च निकाल 24 जनों को गिरफ्तार किया

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा थाना क्षेत्र के नमुकियां गांव में बुधवार की रात राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के लिए हथियारों से लेस युवकों के जंगल में घूमने की आशंका को लेकर टोरडी व नमुकियां गांव के दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीन गांवों में फ्लैगमार्च निकाल 24 जनों को आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तार किया।

मिली जानकारी में सामने आया कि बुधवार की देर रात जरिए दूरभाष के नमुकियां गांव के जंगल में हथियारों से लैस युवकों के होने तथा मोर के शिकार किये जाने की सूचना वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में दोनों गांवों के लोग आमने-सामने हो गये। नमुकियां के ग्रामीणों को देख भागे युवकों का पीछा करते ग्रामीण टोरडी पहुंच गये व दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम महिपाल सिंह, डीवाईएसपी सुशील मान, थानाधिकारी भूराराम खिलेरी भारी पुलिस जाप्ते के साथ टोरडी पहुंचे। दोनों पक्षों में हो रहे विवाद को शांत कर पूछताछ की तो नमुकियां के ग्रामीणों ने टोरडी निवासी लोगों द्वारा जंगल में मोरों का शिकार करने व हाथों में बंदूक होने की आशंका जताते हुए सारे मामले से अवगत करवाया।

टोरडी व नमुकियां में दो पक्षों में हुए विवाद व झूठी अफवाह पर 24 जनों को गिरफ्तार किया।

एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर पुलिस जाप्ता बुला वन विभाग की टीम के साथ कुछ मकानों की तलाशी ली गई तथा रातभर ग्रामीणों के साथ बताये स्थानों पर जंगल में विवाद के कारण व मोर के शिकार की आशंका पर मोरों के अवशेष खंगालते रहे। लेकिन किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं मिला। झूठी सुचना वायरल करने के चलते रातभर पुलिस जागती रही तो जंगल-जंगल में भटकती रही। दो पक्षों में विवाद व शिकार की झूठी सूचना वायरल करने के साथ-साथ झूठी सूचना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल जाने तथा तरह-तरह की चर्चा व आशंकाओं को देखते हुए शांति व कानून व्यवस्था की दृष्टि से गुरूवार की सवेरे टोरडी पहुंचे एएसपी राकेश कुमार बैरवा ने प्रशिक्षु आरपीएस रवि शर्मा व कृतिका यादव सहित एसटीएफ व पुलिस के जवानों के साथ टोरडी, नमुकिया व डुंगरीकलां गांव में फ्लैगमार्च निकाल मौके से तीन मोटरसाईकिले जप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 लोगों को आईपीसी की धाराओं मे गिरफ्तार किया गया।

- रातभर पुलिस के अधिकारी व जवान सहित वन विभाग की टीम विवाद के कारण व मोर के अवशेष खंगालती रही
- एसटीएफ व पुलिस के जवानों ने तीन गांवों में किया फ्लैगमार्च

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बाँसवाड़ा-327001 (राज.) मो. 91-7357477123

क्रमांक : एफ ( ) गो.गु.ज.वि./बांस/2023/पीटीईटी/26 दिनांक : 11.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति

पीटीईटी-2023

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा द्वारा पीटीईटी परीक्षा-2023 का आयोजन 21 मई, 2023 को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया जा रहा है। जिसके लिए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट (ggtu.ac.in) पर दिनांक 15 मई, 2023 से प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय 11:00 बजे से 1 घंटा पूर्व अर्थात् प्रात: 10:00 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. अभ्यर्थी परीक्षा दिवस को सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी. अथवा ड्राईविंग लाईसेंस एवं प्रवेश-पत्र के आधार पर ही नियत समयावधि में पहचान सुनिश्चित होने पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश देय होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के बिना प्रवेश देय नहीं होगा।
4. परीक्षा 3 घंटे की ऑफलाइन मोड पर होगी जिसमें अभ्यर्थी को ओएमआर पर नीले अथवा काले पारदर्शी बॉलपेन से प्रश्न संख्या के अनुसार ही गोले को काला अथवा नीला करना होगा।
5. **परीक्षा योजना निम्न रहेगी :-**
   प्रश्न पत्र में चार खण्ड होगें।
   (अ) मानसिक योग्याता : 50 प्रश्न (प्रश्न संख्या 1 से 50 तक)
   (ब) शिक्षण अभिवृत्ति : 50 प्रश्न (प्रश्न संख्या 51 से 100 तक)
   (स) सामान्य जागरूकता : 50 प्रश्न (प्रश्न संख्या 101 से 150 तक)
   (ब) हिन्दी या अंग्रेजी : 50 प्रश्न (प्रश्न संख्या 151 से 200 तक)
6. भाग अ, स, द में सही उत्तर हेतु 3 अंक देय हैं।
7. भाग 'ब' में उत्तर वरीयता अनुसार 3, 2, 1, 0 अंक देय होंगे।
8. **परीक्षा में ऋणात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है।**
9. परीक्षार्थी परीक्षा उपरांत मूल ओएमआर शीट वीक्षक को जमा कराएंगे एवं ओएमआर की कार्बन प्रति एवं मूल प्रश्न पत्र पुस्तिका साथ ले जा सकेंगे।
10. परीक्षा उपरांत आवेदन पत्र प्रविष्ठि संबंधि त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा। परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क द्वारा यह सुविधा देय होगी।

परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड रहेगा

1. पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तिन के शर्ट/टी-शर्ट, पेन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर आएँगें।
2. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तिन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर एवं बालो में साधारण रबर बेंड लगाकर आएँगी।
3. परीक्षार्थियों को वेषभूषा में किसी भी प्रकार के आभूषण अथवा जेवरात एवं कोई भी ताबीज, धागा पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के मेटल की कोई वस्तु साथ में नहीं होगी।
4. परीक्षा में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा मोबाईल, ब्लूटूथ, इयरफोन, गैजेट लाना पूर्णतया निषेध होगा।

समन्वयक
पीटीईटी परीक्षा-2023